रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265540 CG-DL-E-20082025-265540

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3681]

नई दिल्ली. सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947

No. 3681]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

का.आ. 3785(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 45 की उपधारा (2) और धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (Ivi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय जीन निधि का उपयोग) नियम, 2025 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय जीन निधि के उपयोग के लिए आवेदक और आवेदन- (1) केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समितियां और रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में लगे किसान समूह या संगठन या किसान उत्पादक संगठन पादप आनुवंशिक संसाधनों के स्वस्थाने (इन-सीट्र) और बाह्य स्थाने (एक्स-सीट्र) संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन निधि का उपयोग करने और ऐसे संरक्षण और सतत उपयोग के कार्यान्वयन में पंचायत की क्षमता को मजबूत करने के लिए निर्धारित रीति से आवेदन कर सकेंगे। व्यक्तिगत किसान या किसान समूह (क) सरकारी अनुसंधान संस्थान या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से और (ख) सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन के वित्तपोषण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

5504 GI/2025 (1)

- (2) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रस्ताव आमंत्रित करेगा, जो राष्टीय जीन निधि के उपयोग के लिए आवेदन होगा।
- (3) आवेदन पत्र को आवेदन पत्र में उल्लिखित पृष्ठांकन प्राधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा।
- (4) अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त आवेदनों की प्रशासनिक जांच की जाएगी तथा नियम 3 में निर्दिष्ट चयन एवं मानीटरी समिति के समक्ष रखा जाएगा।
- 3. चयन और मानीटरी समिति (जिसे इन नियमों में इसके पश्चात् समिति कहा गया है)- (1) चयन और मानीटरी समिति का गठन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:
- (i) पादप आनुवंशिकी या प्रजनन अनुसंधान या कृषि जैव विविधता या बीज प्रणाली के प्रबंधन के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और ख्याति के पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव वाले वैज्ञानिक - अध्यक्ष;
- (ii) समिति में निम्नलिखित प्रवर्ग के कम से कम आठ व्यक्ति सदस्य होगे, अर्थात्:-
- (क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का प्रतिनिधि (उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं)-सदस्य;
- (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि (निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो-सदस्य;
- (ग) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रतिनिधि-सदस्य;
- (घ) राज्य कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि (अनुसंधान निदेशक के रैंक से नीचे नहीं)-सदस्य:
- (ङ) पादप आनुवंशिक संसाधन और बीज बैंकों के संरक्षण में अनुभव या विशेषज्ञता वाला एक वैज्ञानिक (स्तर-14 से नीचे का नहीं) या विशेषज्ञ-सदस्य;
- (च) पादप आनुवंशिक संसाधन संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन से संबंधित गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि-सदस्य:
- (छ) किसानों या महिलाओं या जनजातीय संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य: और
- (ज) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद या जैव प्रौद्योगिकी विभाग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक-सदस्य |
- (2) अध्यक्ष द्वारा नामित रजिस्ट्रार समिति का सदस्य-सचिव होगा।
- (3) अध्यक्ष सहित समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।
- (4) चयन एवं मानीटरी समिति, पादप आनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण अथवा सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन के लिए आवेदकों का चयन, यथा विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों के आधार पर करेगी।
- (5) समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- **4. चयन मानदंड-** 1) समिति निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदनों पर कार्रवाई करेगी, अर्थात:
- (क) आवेदक के पास कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या स्थानीय या पारंपरिक किस्मों या विभिन्न फसल प्रजातियों के संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन में अनुभव के वर्ष;
- (ख) आवेदक द्वारा संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों के लिए प्राप्त कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार या सम्मान या मान्यता;
- (ग) वर्तमान में संरक्षित की जा रही कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या स्थानीय या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों की संख्या;
- (घ) अभिलेखों द्वारा प्रमाणित संरक्षण या बीज उत्पादन गतिविधि के अंतर्गत भूमि का क्षेत्र एकड़ में;
- (ङ) जन के जैव विविधता रजिस्टर में कोई प्रविष्टि या किसी शासकीय रजिस्टर में अन्य प्रविष्टियाँ:
- (च) संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों के लिए पहले से विकसित या स्थापित बुनियादी ढाँचा;
- (छ) कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या स्थानीय या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों के संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक के रखरखाव में अपनाई गई नवीन प्रथाएँ;

- (ज) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से पहले प्राप्त और इसी तरह की गतिविधियों के लिए खर्च किया गया कोई अनुदान या प्रमाणित उपयोग प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित कोई अन्य स्रोत;
- (झ) कृषक किस्म या भूप्रजाति या स्थानीय या पारंपरिक किस्म या फसल प्रजाति या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों का कोई दस्तावेजीकरण या किसी प्रतिष्ठित जर्नल या समाचार-पत्र में कोई कवरेज या प्रकाशन (प्रति संलग्न की जाए);
- (ज) सहयोग परियोजनाओं के मामले में, कृषक किस्म या भूप्रजाति या स्थानीय या पारंपरिक किस्म या फसल प्रजाति के संरक्षण के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित करने या सामुदायिक बीज बैंकों को संचालित करने में आवेदक की भूमिका;
- (ट) नई किस्म के विकास के लिए जर्मप्लाज्म के उपयोग का दायरा;
- (ठ) किसानों की किस्मों या भूप्रजातियों या स्थानीय या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों या सामुदायिक बीज बैंक के संरक्षण में शामिल किसानों या कृषक समुदायों की संख्या;
- (ड) सामुदायिक बीज बैंक का आकार, उत्पादित या आपूर्ति किए गए बीज या रोपण सामग्री की मात्रा, और लाभार्थी किसानों विशेष रूप से महिला किसानों की संख्या;
- (ढ) परियोजना अवधि के बाद भविष्य के लिए परिकल्पित कोई भी आत्मनिर्भर वित्तपोषण मॉडल;
- (ण) अपेक्षित वित्तपोषण की सीमा और योजनाबद्ध गतिविधियों के संबंध में इसका वर्षवार विवरण;
- (त) सामदायिक बीज बैंकों की संरक्षण गतिविधियों के स्थान की दूरी ;
- (थ) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में पहले से रजिस्ट्री (रजिस्ट्रीकरण संख्या, पौधा प्रजाति और नाम प्रदान किया जाना है) या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई या जन के जैव विविधता रजिस्टर में दर्ज की गई कोई भी किसान किस्म:
- (द) सामुदायिक बीज बैंक के संचालन में शामिल प्रौद्योगिकी; और
- (ध) क्या पादप आनुवंशिक संसाधन संरक्षण गतिविधि को मजबूत करने के लिए पंचायतों के लिए पहले से ही कोई प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- (2) समिति उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करेगी और उन्हें अनुदान के लिए पूर्व सूचीबद्ध करेगी।

5. वित्तपोषण-

परियोजना का वित्तपोषण निम्नानुसार होगा:

- (क) चयनित परियोजना को तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वित्तपोषण किया जाएगा, जिसे भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर समिति के निर्णय के अधीन अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।
- (ख) वित्तपोषण की सीमा समिति द्वारा महत्व, सम्मिलित कार्य की सीमा, संरक्षित की जाने वाली कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या स्थानीय या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों की संख्या, युक्तियुक्त अवसंरचना और अपेक्षित जनशक्ति के आधार पर निश्चित की जाएगी।
- (ग) किसी विशेष परियोजना के लिए वित्तपोषण सामान्यतः केवल पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रीय जीन निधि से पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली अधिकतम रकम राष्ट्रीय जीन निधि बैंक जमाराशियों पर अर्जित ब्याज का 70 प्रतिशत तक होगी।
- (ङ) प्रथम वर्ष का वित्त पोषण प्रस्ताव के चयन के पश्चात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा स्वीकृति जारी करने के पश्चात जारी किया जाएगा।
- (च) आगामी वर्ष का वित्त पोषण संतोषजनक प्रगति तथा पिछले वर्ष के व्यय विवरण तथा उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर निर्भर करेगा।
- (छ) आवेदक तथा पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बीच निष्पादित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में परियोजना के समयबद्ध रीति में निष्पादन न किए जाने की स्थिति में जारी की गई राशि की वसूली के लिए एक खंड शामिल होगा।
- (ज) किसी आवेदक को पहले स्वीकृत परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात ही नए प्रस्ताव के वित्त पोषण के लिए विचार किया जा सकेगा।

- (झ) परियोजना में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद में साधारण वित्तीय नियमों की उचित प्रक्रिया तथा उपबंधों का पालन किया जाना है।
- (जे) पंचायत की क्षमता को मजबूत करने के लिए, आवेदकों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा और इसका उल्लेख आवेदन में किया जा सकेगा और ऐसे प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण की सीमा प्राधिकरण के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- **6. प्रकीर्ण-** (1) प्रस्ताव राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किया जाएगा तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- (2) प्राधिकरण द्वारा अंतिम तिथि तक या उससे पहले प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
- (3) प्रस्ताव विशिष्ट उद्देश्यों, समय-सीमा के साथ वर्ष-वार गतिविधि चार्ट, वर्ष-वार अपेक्षित बजट, जनशक्ति और अवसंरचना आवश्यकताओं, अपेक्षित बजट के औचित्य और अपेक्षित आउटपुट और परिणाम के साथ पूर्ण होना चाहिए।
- (4) अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
- (5) समिति द्वारा प्रगति की वार्षिक मानीटरी की जाएगी और यदि प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तभी भविष्य में अनुदान जारी किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

पौधा प्राधिकरण भवन, डीपीएस मार्ग, टोडापुर के सामने

नई दिल्ली-110012

नियम 2 (2) देखें

आवेदन पत्र

पादप के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग, जिसमें स्वस्थाने (इन-सीटू) और बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू) संग्रह शामिल हैं, तथा ऐसे संरक्षण और सतत उपयोग के कार्यान्वन में पंचायत की क्षमता को मजबूत करना या सामुदायिक बीज बैंकों का संचालन करना। वर्ष _____

1.	आवेदक का नाम	
	(सभी बड़े अक्षरों में)	
2.	आवेदक की विधिक स्थिति	
	केन्द्रीय या राज्य सरकार का संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्री सोसायटी और रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन और किसान समूह या संगठन या किसान उत्पादक संगठन।	
	अनुसंधान संस्थान या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या	

	केंत्रीम क्रिप्तिकारम के मरणेन मे अनेर रू	
	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से आवेदन कर सकते हैं।	
	(निगमन या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति)	
3.	रजिस्ट्रीकरण संख्या और वर्ष का विवरण	
4.	डाक पता (पत्राचार के लिए)	
	पंचायत या गांव	
	ब्लॉक	
	डाकघर	
	जिला	
	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	
	पिन	
	टेलीफोन (यदि कोई हो)	
	ई-मेल (यदि कोई हो)	
5.	क्या आवेदक एक महिला किसान या महिला किसान	
	संगठन या महिला कृषक समुदाय या महिला स्वयं सहायता समूह है जो पादप के आनुवंशिक संसाधनों के	
	संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक चलाने में शामिल है	
6.	क्या संरक्षण गतिविधियों या सामुदायिक बीज बैंक का	
	स्थान सुदूर क्षेत्र में है जहां पहुंचना कठिन है? यदि हां, तो विवरण दें।	
7.	कृषक की किस्मों या भूप्रजातियों या पारंपरिक किस्मों	
/.	या विभिन्न फसल प्रजातियों की संख्या जिनके संरक्षण	
	के प्रयास किए जा रहे हैं या सामुदायिक बीज बैंक बनाए जा रहे हैं।	
8.	, , , ,	
0.	आवेदक का पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन में अनुभव (वर्षों में)	
9.	आवेदक द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण	
	या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों के लिए प्राप्त	
10	कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार या पारितोषिक।	
10.	पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण या बीज उत्पादन गतिविधि के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल (एकड़	
	में) अभिलेखों द्वारा प्रमाणित	
11.	जन जैवविविधता रजिस्टर में प्रविष्टी या किसी	
	सरकारी रजिस्टर में अन्य प्रविष्टियों के उद्धरण की प्रतिलिपि।	
12.	संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों के लिए	
	पहले से ही विकसित या स्थापित बुनियादी ढांचा	
13.	सामुदायिक बीज बैंकों के संरक्षण या रखरखाव में	
4.	अपनाई गई नवीन प्रथायें।	
14.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से पूर्व में प्राप्त और व्यय किया गया कोई अनुदान या	
	ा रूप में भारा आर ज्यम विभा गया वर्ग र जगुपान या	

	प्रमाणित उपयोग प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित कोई अन्य स्रोत।	
15.	संरक्षित कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या पारंपरिक किस्मों या विभिन्न फसल प्रजातियों और उनके वन्य संबंधी या सामुदायिक बीज बैंक गतिविधियों का कोई भी दस्तावेजीकरण, जैसा कि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में रिपोर्ट किया गया है (मुख्य पृष्ठ की प्रति के साथ दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई जाए)।	
16.	सहयोग परियोजनाओं के मामले में, पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन या सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन में आवेदक की भूमिका।	
17.	नई किस्म के विकास के लिए किसानों की किस्मों या भूप्रजातियों या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों के उपयोग का विवरण; क) यदि पहले से ही भूतकाल में उपयोग किया गया है तो उचित एजेंसी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित उदाहरणों के साथ ब्यौरे प्रदान किया जाना चाहिए।	
	ख) यदि किसी किसान की किस्म पहले से ही पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है, तो फसल किस्म का नाम, रजिस्ट्रीकरण का वर्ष और रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी चाहिए।	
18.	पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंक कार्यक्रम में शामिल किसानों या कृषक समुदायों की संख्या।	
19.	सामुदायिक बीज बैंक का आकार, उत्पादित या आपूर्ति किये गये बीज या रोपण सामग्री की मात्रा तथा लाभार्थी किसानों, विशेषकर महिलाओं की संख्या।	
20.	परियोजना अवधि के बाद भविष्य के लिए परिकल्पित कोई भी आत्मनिर्भर वित्तपोषण मॉडल। (संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाए)	
21.	अपेक्षित वित्तपोषण की सीमा तथा नियोजित गतिविधियों के संबंध में इसका वर्षवार विवरण।	
22.	विशिष्ट उद्देश्यों के साथ विस्तृत और पूर्ण प्रस्ताव, समय-सीमा के साथ वर्ष-वार गतिविधि चार्ट, वर्ष-वार अपेक्षित बजट, जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं, अपेक्षित बजट का औचित्य और प्रत्याशित आउटपुट और परिणाम। (सम्यक् रूप से भरे हुए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है)	
23.	परियोजना का संक्षिप्त सारांश (100 शब्दों में)	
24.	कृषक किस्मों या भूप्रजातियों या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों के स्वस्थाने (इन-सीटू) और बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण या सामुदायिक बीज बैंकों	

	के संचालन के लिए अनुदान के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की रूपरेखा।	
25.	पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए पंचायतों की क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रमों के ब्यौरे।	
26.	निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान या राज्य कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताएं तथा उसका संबंध या सहयोग बताएं, यदि कोई हो।	

ऊपर बताए गए सभी ब्यौरे मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान:

तारीख:

टिप्पण:

- 1. कृपया आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
- 2. किसी भी कॉलम में ब्यौरों या जानकारी के लिए, अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं।
- 3. घोषणा संलग्न की जानी है।

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित आवेदक किसानों की किस्मों या भूप्रजातियों या पारंपरिक किस्मों या फसल प्रजातियों का संरक्षण कर रहा है या किसानों के लाभ के लिए वर्षों से सामुदायिक बीज बैंक का संचालन कर रहा है। उक्त गतिविधियाँ नीचे हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार क्षेत्र में की जाती हैं।

(नाम, पदनाम और हस्ताक्षर मृहर के साथ)

(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या सचिव या संबंधित ब्लॉक या जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या संबंधित कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान के निदेशक या संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाना है)।

[फा. सं. 20-3/2024-एसटीयू-I]

अजीत कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 738(अ) तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 803(अ) तारीख 16 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture And Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025

- **S.O.** 3785(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 and clause (lvi) of sub-section (2) of section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules namely: -
- 1. **Short title and commencement.-**(1) This rule may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Utilisation of National Gene Fund for conservation and sustainable use of Plant Genetic Resources) Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Applicant and Application for Utilisation of National Gene Fund. (1) The Central or State Government organisation, Research Institute of Indian Council of Agricultural Research, Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Forestry Research and Education, Department of Biotechnology and Department of Science and Technology, State Agricultural Universities, Central Agricultural Universities, the Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 and registered Trust or Non-Governmental organization and farmers group or organization or Farmers Producer Organisations engaged in the conservation of plant genetic resources may apply in the manner for utilising the National Gene Fund for *in–situ* and *ex-situ* conservation of plant genetic resources and strengthening the capability of the Panchayat in carrying out such conservation and sustainable use. Individual farmer or farmer group may apply in collaboration with,(a)government research institution or State Agricultural Universities or Central Agricultural Universities; and (b) for funding the operation of Community Seed Banks.
 - (2) Every year Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority shall invite proposals as specified in the First Schedule which shall be an application for utilising the National Gene Fund.
 - (3) The application has to be forwarded through the endorsing authorities mentioned in the application form.
 - (4) The applications received on or before the last date shall be screened administratively and placed before the Selection and Monitoring Committee referred to in rule 3.
- **3. Selection and Monitoring Committee (hereinafter in these rules referred to as Committee) -**(1)The Selection and Monitoring Committee shall be constituted by the Chairperson of the Authority and, it shall consist of the following namely:
 - (i) A Scientist of outstanding caliber and eminence with substantial practical experience in the field of plant genetics or breeding research or management of agro-biodiversity or seed system Chairperson;
 - (ii) Not less than eight persons of the Committee in the following category namely:-
 - (a) representative from the Department of Agriculture and Farmers Welfare (Not below the rank of Deputy Commissioner)-member;
 - (b) representative from the Indian Council of Agricultural Research (Director, National Bureau of Plant Genetic Resources)-member;
 - (c) representative from the National Biodiversity Authority-member;
 - (d) one representative of State Agricultural University or Central Agricultural University (Not below the rank of Director of Research) member;
 - (e) one Scientist (not below level-14) or expert with experience or specialization in conservation of Plant Genetic Resources and Seed Banks member;
 - (f) one representative from the Non-Governmental organization dealing with Plant Genetic Resources Conservation or Operation of Community Seed Banks member;
 - (g) member of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority representing farmers or women or tribal Organisation member; and
 - (h) Director of the Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Forestry Research and Education or Department of Biotechnology or Department of Science and Technology institute member.
 - (2) A Registrar nominated by the Chairperson shall be the Member-Secretary of the committee.
 - (3) The quorum of the committee including the Chairperson shall be five.
 - (4) The Selection and Monitoring Committee shall select the applicants for conservation of Plant Genetics Resources or for operation of Community Seed Banks based on a set a selection criteria as specified.
 - (5) The tenure of the Committee shall be for a period of three years from its date of constitution.
- 4. Selection Criteria. (1) The Committee shall process the applications on the basis of following criteria namely:-
 - (a) such years of experience of the applicant has in conservation of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or different Crop Species or in operating community seed banks;
 - (b) any prestigious awards or rewards or recognition received for conservation or Community Seed Bank activities by such applicant;

- (c) the number of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop Species being conserved currently;
- (d) the acre of land area under conservation or Seed production activity authenticated by records;
- (e) any entry in the People's Biodiversity Registers or other entries in any official register;
- (f) infrastructure already developed or established for conservation or Community Seed Bank activities;
- (g) innovative practices adopted in conservation of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop Species or maintenance of Community Seed Bank;
- (h) any grant already received and spent for similar activities from the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority earlier or any other sources supported by Certified Utilisation Certificates;
- (i) any documentation of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop Species or Community Seed Bank activities, any coverage or publication in a reputed Journal or Newspaper (Copy to be attached);
- in case of collaboration projects, the role of the applicant in executing the projects for conservation of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop Species or operating Community Seed Banks;
- (k) scope of use of the germplasm for development of new variety;
- (l) number of farmers or farming communities involved in the conservation of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop Species or Community Seed Bank;
- (m) size of the community seed bank, amount of seed or planting material produced or supplied, and the number of beneficiary farmers particularly women farmers;
- (n) any self-sustaining financing model envisioned for future after the project period;
- (o) the extent of funding required and its year-wise break up vis-à-vis activities planned;
- (p) remoteness of the location of the conservation activities of the community seed banks;
- (q) any farmers' variety registered with Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority already (Registration number, Plant Species and denomination to be provided) or submitted for registration or recorded in People's Biodiversity Register;
- (r) the technology involved in the operation of Community Seed Bank; and
- (s) whether any training or capacity building programme already conducted for the Panchayats in the past for strengthening Plant Genetic Resources conservation activity.
- (2) The Committee shall screen the proposals based on the above criteria and short-list them for grant.

5. Funding-

The funding of the project shall be as follows:

- (a) A selected project shall be funded for an initial period of three years extendable upto a maximum period of five years subject to the decision of Committee based on physical and financial progress.
- (b) The extent of funding shall be decided by the Committee depending on the importance, extent of work involved, number of Farmers Varieties or Land Races or Local or Traditional Varieties or Crop species to be conserved, reasonable infrastructure and manpower required.
- (c) The funding for any particular project shall not normally exceed Rupees Fifteen Lakhs Only.
- (d) The maximum amount that may be spent in each of the financial year for conservation of plant genetic resources from the National Gene Fund shall be upto 70 per cent of the interest accrued to the National Gene Fund bank deposits.
- (e) The first year funding shall be released after selection of the proposal followed by signing of a Memorandum of Understanding and issue of sanction.
- (f) Subsequent year fund release shall depend on satisfactory progress and receipt of Statement of Expenditure and Utilisation Certificate of the previous year.
- (g) The Memorandum of Understanding to be executed between the applicant and Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority shall contain a clause for recovery of the money released in case of non-execution of the project in a time bound manner.

Year

- (h) An applicant may be considered for funding a new proposal only after successful completion of the earlier sanctioned project.
- (i) Due procedure and provisions of the General Financial Rules are to be followed in procurement of goods or services in the project
- (j) For strengthening the capability of panchayat, funding to the applicants shall also be provided for conduct of awareness and training programmes in carrying out conservation and sustainable use of Plant Genetic Resources and the same maybe mentioned in the application and the extent of funding for such Training and Awareness programmes shall be as per existing guideline of the Authority.
- **6. Miscellaneous.-** (1) The proposals shall be invited by advertisement in the National Newspapers and also on the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority website.
 - (2) The applications received by the Authority on or before the last date shall be considered.
 - (3) The proposal has to be complete with specific objectives, year-wise activity chart with time line, year-wise budget required, manpower and infrastructure needs, justification for the budget required and expected output and outcome.
 - (4) Half-yearly and annual progress reports are to be submitted.
 - (5) The progress shall be monitored by the Committee, annually and, if, found satisfactory, only then future grant shall be released.

FIRST SCHEDULE

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY PLANT AUTHORITY BHAWAN, DPS MARG, OPP. TODAPUR

-, -, -

NEW DELHI-110012 See rule 2 (2)

APPLICATION FORM

Conservation and sustainable use of plant genetic resources including in-situ and ex-situ collections and for strengthening the capability of the Panchayat in carrying out such conservation and sustainable use or Operation of Community Seed Banks

1.	Name of the applicant	
	(ALL CAPITALS)	
2.	Legal Status of the Applicant	
	Central or State government organisation, Research Institute of Indian Council of Agricultural Research, Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Forestry Research and Education, Department of Biotechnology and Department of Science and Technology, State Agricultural Universities, Central Agricultural University, the Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 and registered Trust or Non-Governmental organization and farmers group or organization or	
	Farmers Producer Organisations. Individual farmer or farmer group may apply in collaboration with a Government research institution or State Agricultural Universities or Central Agricultural University. (Copy of Certificate of Incorporation or Registration)	
3.	Details of registration number and year	
4.	Postal address (for correspondence) Panchayat or village	

	Block	
	Post Office	
	District	
	State or Union Territory	
	Pin	
	Telephone (if any)	
	E-mail (if any)	
5.	Whether the applicant is a Woman Farmer or Women Farmers'	
	Organisation or Women Farming Community or Women Self	
	Help Group involved in conservation of Plant Genetic Resources	
	or running Community Seed Bank	
6.	Whether the location of the conservation activities or Community	
	Seed Bank is in remote area which is difficult to access? If yes,	
	give details.	
7.	Number of Farmers Varieties or Land Races or Traditional	
	Varieties or different Crop Species in which conservation efforts	
	or Community Seed Banks are being made.	
8.	Experience of applicant in conservation of Plant Genetic	
	Resources or Operating Community Seed Banks (in years)	
9.	Any prestigious awards or rewards received for conservation of	
	Plant Genetic Resources or Community Seed Bank activities by the applicant.	
1.0		
10.	Land Area (in acre) under conservation of Plant Genetic Resources or seed production activity authenticated by records	
11.	Copy of extract of entry in People's Biodiversity Register or other	
10	entries in any official register.	
12.	Infrastructure already developed or established for conservation or	
12	Community Seed Bank activities	
13.	Innovative practices adopted in conservation or maintenance of Community Seed Banks.	
1.4		
14.	Any grant already received and spent for similar activities from Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority earlier	
	or any other sources supported by Certified Utilisation Certificates.	
15.	Any documentation of the conserved Farmers Varieties or Land	
13.	Races or Traditional Varieties or different Crop Species and their	
	wild relatives or Community Seed Bank activities as reported in	
	reputed journals and newspapers (List of documents along with	
	copy of front page be provided).	
16.	In case of collaboration projects, the role of the applicant in	
	executing the projects for conservation of Plant Genetic Resources	
	or operating Community Seed Banks.	
17.	Scope of use of the Farmers Varieties or Land Races or Traditional	
	Varieties or Crop Species for development of new variety; a)	
	details to be provided if already used in the past with examples duly certified by appropriate agency.	
	b) If any farmers' variety already registered with Protection of	
	Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, the crop variety	
	denomination, year of registration and registration number be	
	provided.	
18.	Number of farmers or farming communities involved in the	
	conservation of Plant Genetic Resources or Community Seed Bank	
	programme.	
19.	Size of the community seed bank, amount of seed or planting	
	material produced or supplied and the number of beneficiary	
	farmers particularly women.	

20.	Any self-sustaining financing model envisioned for future after the project period. (Brief description be provided)	
21.	The extent of funding required and its year-wise break up vis-à-vis activities planned.	
22.	Detailed and complete proposal with specific objectives, year-wise activity chart with time line, year-wise budget required, manpower and infrastructure needs, justification for the budget required and expected output and outcome. (To be attached along with the duly filled application)	
27.	Brief summary of the project (in 100 words)	
28.	Outline of the proposed work plan for utilization of the grant for in-situ or ex-situ conservation of Farmers Varieties or Land Races or Traditional Varieties or Crop Species or operation of Community Seed Banks.	
29.	Details of training or awareness programmes to be provided to panchayats in strengthening their capability to carry out conservation and sustainable use of Plant Genetic Resources.	
30.	Provide name of nearby Krishi Vigyan Kendra or Indian Council of Agricultural Research Institute or State Agriculture University and specify linkages or collaborations, if any.	

All the details stated above are true to the correct of my knowledge and belief.

Name/Signature of Applicant/ Authorised person with seal

Place: Date:

Note:

- 1. Please sign each page of the Application Form.
- 2. For details or information in any column, extra pages can be attached as Annexure.
- 3. Declaration to be attached.

CERTIFICATE

It is hereby certified that the applicant named in this application is being conserving Farmers Varieties or Land Races or Traditional Varieties or Crop Species or is operating Community Seed Bank for the benefit of farmers for______number of years.

The said activities are carried out within the jurisdiction of the undersigned.

(Name, Designation and Signature with seal)

(To be certified by Chairperson/Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee or Concerned Block / District Agricultural Officer or Director of Research of Concerned State Agriculture University or Director of the concerned Agricultural Technology Application Research Institute or Concerned District Tribal Development Office).

[F.No. 20-3/2024-STU-I] AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 738(E) dated the 12th September, 2003 and were last amended *vide* number G.S.R. 803(E) dated the 16th November, 2021.